

RFP/ क्रं/CMR/ 1162

भोपाल, दिनांक -07/02/2025

लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत गैर-आवासीय एवं आवासीय प्रशिक्षण/कार्यशाला की व्यवस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2024-26 हेतु ई-निविदा प्रपत्र

लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत समय-समय पर आयोजित होने वाले आवासीय व गैर-आवासीय प्रशिक्षण/कार्यशाला की आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु निम्नानुसार ई-निविदा आमंत्रित की जाती है-

(अ) सामान्य जानकारी-

निविदा क्रमांक एवं दिनांक	1162 दिनांक 7/2/2025
निविदा आरंभ होने की तिथि एवं समय	08.02.2025 प्रातः 11:00 बजे
प्री-बिड की तिथि समय एवं स्थान	दिनांक-14.02.2025 समय-अपरान्ह 3:00 बजे स्थान-लोक शिक्षण संचालनालय
निविदा समाप्त होने की तिथि एवं समय	24.02.2025 सायं 05:00 बजे
टेक्निकल बिड ओपन करने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक-25.02.2025 समय-सायं 5:00 बजे स्थान-लोक शिक्षण संचालनालय
संपर्क सूत्र	9340610097
ई-मेल	cmrise@vimarsh.mp.gov.in
बिड की वैधता	90 दिवस
निविदा शुल्क	1000/-
वित्तीय बिड ओपन करने की तिथि, समय एवं स्थान	पृथक से सूचित किया जायेगा।

1. निविदा प्रस्तुत किए जाने हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तें-

1.1 गैर-आवासीय एवं आवासीय व्यवस्थाओं से संबंधित कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। जिसे आवश्यकतानुसार दोनो पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाई जा सकेगी।

1.2 कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक माह की पूर्व सूचना पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

- 1.3 सफल निविदाकार 02 वर्ष की अवधि के पश्चात संचालनालय द्वारा आगामी ई-निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने तक पूर्व निर्धारित शर्तों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।
- 1.4 निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र अ (तकनीकी बिड) एवं निविदा प्रपत्र ब (फाइनेंशियल बिड) पूर्णतः भरकर एमपी टेंडर्स की वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पर अपलोड करना होगा।
- 1.5 धरोहर की राशि—
- 1.5.1 गैर-आवासीय प्रशिक्षण/कार्यशाला की व्यवस्थाओं हेतु इच्छुक निविदाकार के लिए धरोहर की राशि रुपये 50,000 (पचास हजार रुपये)।
- 1.5.2 आवासीय प्रशिक्षण/कार्यशाला की व्यवस्थाओं हेतु इच्छुक निविदाकार के लिए धरोहर की राशि रुपये 50,000 (पचास हजार रुपये)।
- 1.5.3 दोनो प्रकार की व्यवस्थाओं के इच्छुक निविदाकार के लिए रुपये 1.00 लाख (एक लाख रुपये)।
- 1.5.4 धरोहर की राशि ऑनलाइन <https://mptenders.gov.in/> के माध्यम से जमा होगी। धरोहर राशि ऑनलाइन जमा करने की पुष्टि हेतु तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्केन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
- 1.6 निविदाकार भोपाल में स्थित शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी उपक्रम/निजी संस्था, जिनका पंजीकृत मालिकाना हक हो अथवा किराये की स्थिति में पंजीकृत किरायानामा हो ऐसे निविदाकार ही उक्त ई-निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।
- 1.7 न्यूनतम आर्हता (गैर आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं हेतु)—
- 1.7.1 निविदाकार के पास थियेटर सिटिंग में न्यूनतम 100 व्यक्तियों तथा राउंड टेबल सिटिंग में न्यूनतम 100 व्यक्तियों की बैठक क्षमता का हॉल उपलब्ध हों।
- 1.7.2 हॉल में पर्याप्त ए.सी., 02 माइक, 02 पोडियम, 02 एलसीडी प्रोजेक्टर, 01 पीए सिस्टम एवं थियेटर व राउंड टेबल में बैठक व्यवस्था हेतु पर्याप्त फर्नीचर होना चाहिए।
- 1.7.3 हॉल के बाहर 100 व्यक्तियों के बुफे लंच हेतु पर्याप्त कवर्ड व एयर कंडिशनड स्थान, महिला एवं पुरुष हेतु पृथक-पृथक टॉयलेट तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सुरक्षा तथा पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध होना चाहिए।
- 1.7.4 निविदाकार फर्म का वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के टर्नओवर में से किन्ही तीन वर्षों का औसत टर्नओवर रुपये 25 लाख (रु. पच्चीस लाख मात्र) होना आवश्यक है।
- 1.7.5 निविदाकर्ता को पूर्व में किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल कार्यालयों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा ब्लेकलिस्टेड की कार्यवाही न की गई हो।
- 1.7.6 जिला खाद्य कार्यालय, खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जीवित फूड लायसेंस (एफएसएसआई) उपलब्ध हों।
- 1.8 न्यूनतम आर्हता (आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं हेतु)—
- 1.8.1 निविदाकर्ता के पास न्यूनतम 100 व्यक्तियों के आवास की सर्वसुविधायुक्त व्यवस्था एवं न्यूनतम 02 प्रशिक्षण हॉल (प्रत्येक में पर्याप्त ए.सी., 02 माइक, 01 पोडियम, 01

एलसीडी प्रोजेक्ट्स के लिए निविदाओं को तैयार करने के लिए (एलसीडी प्रोजेक्ट्स के लिए निविदाओं को तैयार करने के लिए) बैठक हेतु फर्नीचर की सुविधायुक्त) एक ही स्थान पर उपलब्ध हों।

- 1.8.2 लंच एवं डिनर हेतु किचन एवं डायनिंग हॉल आवासीय परिसर में ही उपलब्ध हों।
- 1.8.3 सुरक्षा एवं पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध हो।
- 1.8.4 निविदाकार फर्म का वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के टर्नओवर में से किन्ही तीन वर्षों का औसत टर्नओवर रूपये 50 लाख (रु. पचास लाख मात्र) होना आवश्यक है।
- 1.8.5 निविदाकर्ता को पूर्व में किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल कार्यालयों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा ब्लेकलिस्टेड की कार्यवाही न की गई हो।
- 1.8.6 जिला खाद्य कार्यालय, खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जीवित फुड लायसेंस (एफएसएसआई) उपलब्ध हों।
- 1.9 आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनो प्रकार के प्रशिक्षण में हॉल का किराया पृथक से देय नहीं होगा। समय-समय पर आयोजित होने वाले गैर-आवासीय एवं आवासीय प्रशिक्षण/बैठक/कार्यशाला में न्यूनतम 40 व्यक्ति हो सकते हैं। प्रत्येक आयोजन के कार्यादेश में प्रतिभागियों की संभावित संख्या का उल्लेख किया जाएगा, एवं वास्तविक संख्या के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
- 1.10 निविदाकर्ता एजेन्सी के बैंक खाते की जानकारी तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्केन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।
- 1.11 निविदाकर्ता को अपने पैनकार्ड की प्रति को तकनीकी बिड में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।
- 1.12 निविदाकर्ता का एसजीएसटी/सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर को तकनीकी बिड में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।
- 1.13 निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022, 2022-23 एवं 2023-24 में जमा की गई एसजीएसटी/सीजीएसटी की पावती को तकनीकी बिड में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।
- 1.14 निविदाकर्ता का पंजीयन नम्बर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
- 1.15 विगत चार वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों की आयकर विवरणी की पावती जो आयकर विभाग द्वारा जारी की गई हो को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।
- 1.16 आवासीय एवं गैर-आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं हेतु एक ही निविदाकार अथवा पृथक-पृथक निविदाकार हो सकते हैं। दोनो प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए निविदा में भाग लेने पर तदनुसार धरोहर की राशि एवं टर्नओवर के अभिलेख जमा करना होगा। यदि किसी निविदाकार द्वारा केवल एक निविदा हेतु धरोहर राशि व टर्नओवर के अभिलेख जमा किए हैं एवं दोनो निविदाओं में दरें भर दी गई हैं, तो उसकी किसी भी निविदा में दरें स्वीकार की जावेंगी।
- 1.17 आवासीय व गैर-आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं के लिए धरोहर की राशि पृथक पृथक है। अतएव निविदाकार को तदनुसार वित्तीय बिड में आवासीय व गैर-आवासीय

प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं के लिए पृथक-पृथक दरें देना होगा। प्रतिव्यक्ति प्रतिदिवस की दरों के कुल योग में न्यूनतम राशि की फर्म को एल-1 माना जाएगा।

1.18 वित्तीय प्रस्ताव में दरें राशि रूपये के पूर्णांक में दी जाए।

1.19 जीएसटी का नियमानुसार भुगतान पृथक से किया जाएगा।

1.20 दोनो प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए एक ही निविदाकार होने की स्थिति में निविदाकार का वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के टर्नओवर में से किन्ही तीन वर्षों का औसत टर्नओवर रूपये 75 लाख (रु. पचहत्तर लाख मात्र) होना आवश्यक है।

1.21 निविदाकार एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एजेंसी की पदमुद्रा सहित सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। सत्यापित प्रतिलिपियां असत्य पाए जाने पर संबंधित निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर उसकी धरोहर राशि राजसात की जाकर यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

1.22 तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्केन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत अनुसार समस्त अर्हता पाए जाने पर ही संबंधित एजेन्सी का वित्तीय बिड खोला जावेगा।

1.23 लोक शिक्षण संचालनालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी ई-निविदा या उसके किसी अंश को या सम्पूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बिना किसी कारण बताए निरस्त कर सकेगा।

1.24 निविदाकर्ताओं की दरें समान होने की स्थिति में जिस संस्था का विगत तीन वर्ष का औसत टर्नओवर अत्यधिक होगा, उसे पात्र माना जाएगा, इस हेतु समिति का निर्णय मान्य होगा।

1.25 वित्तीय बिड में एल-1 दर वाली एजेंसी/संस्था के वेन्यू का भ्रमण निविदा समिति द्वारा किया जाएगा। यदि निविदा में उल्लेख अनुसार समस्त सुविधाएं सत्य नहीं पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसी/संस्था की निविदा अमान्य करते हुए धरोहर राशि को राजसात किया जा सकेगा एवं ऐसी स्थिति में एल-2 दर वाली फर्म यदि पात्रताधारी है, एवं एल-1 दर पर कार्य करने में सहमत हों तो ऐसी स्थिति में एल-2 फर्म को आदेश दिया जाएगा। इस संबंध में निर्णय का अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होगा।

1.26 प्रशिक्षण के दौरान व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर या प्रतिभागियों के आवास अथवा भोजन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिकायत प्रमाणित पाए जाने पर संस्था के कुल देयक के 10 प्रतिशत तक अर्थदण्ड स्वरूप वसूली योग्य होगा। इसके अतिरिक्त एजेंसी/संस्था की लगातार तीन बार शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित एजेंसी/संस्था के साथ अनुबंध समाप्त करते हुए ब्लेकलिस्ट किया जाएगा तथा धरोहर राशि को राजसात कर लिया जाएगा।

1.27 प्रशिक्षण के दौरान परिसर में किसी भी प्रकार की टूट-फूट एवं नुकसान के लिए संबंधित एजेंसी/संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। शिक्षा विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

1.28 संस्था/एजेंसी के देयकों में से नियमानुसार टीडीएस कटौती कर भुगतान किया जाएगा। जीएसटी नियमानुसार प्रावधानित होंगे। संस्था इस राशि को पृथक से इंगित करेगी जिसका भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। भुगतान किए गए टेक्स की रसीद संचालनालय में प्रस्तुत करना होगा।

1.29 निविदा कार्य से संबंधित अनुबंध के अनुसार कार्य/उत्तरदायित्वों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की समस्या अथवा विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण संचालक लोक शिक्षण के समक्ष समाधान/निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संचालक के निर्णय से असंतुष्ट होने पर एजेंसी को एक सप्ताह की समयावधि में अपना अभ्यावेदन आयुक्त लोक शिक्षण के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। ऐसे विवाद के संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण का निर्णय बाध्यकारी तथा अंतिम होगा।

1.30 निविदा प्रस्तावों के मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिए संचालनालय अपने विवेकानुसार किसी भी बोलीदाता से उसके प्रस्ताव के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है। इस प्रयोजन के लिए संचालनालय द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे स्पष्टीकरण प्रदान किए जाएंगे। स्पष्टीकरण के लिए कोई भी अनुरोध और उसके जवाब में सभी स्पष्टीकरण लिखित रूप में होंगे। यदि कोई निविदाकार निर्दिष्ट समय के अंदर मांगे गए स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया जाता है, तो संचालनालय अपने विवेक अनुसार स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले विवरणों की व्याख्या करके प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकेगा, जिस पर निविदाकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

1.31 सभी विवादों के विचारण का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, भोपाल होगा।

1.32 निविदा से संबंधित कोरिजेण्डम एवं सूचनाएं एमपी टेंडर्स की साइट पर अपलोड किए जाएंगे।



संचालक

लोक शिक्षण म.प्र.



प्रपत्र-अ

तकनीकी प्रस्ताव

क्र.	विवरण	निविदाकार द्वारा भरा जाए	
1	निविदाकार (प्रोपरायटर)/संस्था का नाम एवं पता, दूरभाष/मोबाइल न.		
2	संस्था/फर्म का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (प्रमाणपत्र अपलोड करें)		
3	निविदाकर्ता का जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (प्रमाण पत्र स्केन कर अपलोड करें)		
4	निविदाकार का संस्था/फर्म का पेन नम्बर (स्केन कर अपलोड करें)		
5	तकनीकी बिड के साथ धरोहर राशि के रूप में ऑनलाईन जमा करने की पुष्टि हेतु दस्तावेज। (स्केन कर अपलोड करें)		
6	जिला खाद्य कार्यालय, खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत फूड लायसेंस (एफएसएसआई) जीवित लायसेंस (स्केन कर अपलोड करें)		
7	केवल गैर-आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं हेतु इच्छुक निविदाकार द्वारा जानकारी भरी जावे- वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के टर्नओवर की पुष्टि हेतु सी.ए. द्वारा प्रमाणित दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करें।	वर्ष	टर्नओवर
		2020-21	
		2021-22	
		2022-23	
		2023-24	
8	केवल आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं हेतु इच्छुक निविदाकार द्वारा जानकारी भरी जावे- वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के टर्नओवर की पुष्टि सी.ए. द्वारा प्रमाणित दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करें।	वर्ष	टर्नओवर
		2020-21	
		2021-22	
		2022-23	
		2023-24	

9	आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं हेतु इच्छुक निविदाकार द्वारा जानकारी भरी जावे-	वर्ष	टर्नओवर
वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के टर्नओवर की पुष्टि सी.ए. द्वारा प्रमाणित दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करें।		2020-21	
		2021-22	
		2022-23	
		2023-24	
10	निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में से कम से कम तीन वर्षों की जमा की गई आयकर विवरणी की पावती (पीडीएफ फार्मेट)		
11	निविदाकर्ता एजेन्सी को पूर्व में किसी भी शासकीय/अर्द्धशास./निगम/मण्डल कार्यालयों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा ब्लेकलिस्टेड अथवा ब्लेकलिस्टेड की कार्यवाही न की गई हो, इस आशय का प्रमाण पत्र।		
12	निविदाकर्ता संस्था/एजेन्सी के बैंक खाते की जानकारी को पीडीएफ फार्मेट में।		
13	पैनकार्ड की प्रति को पीडीएफ फार्मेट।		
14	निविदाकर्ता का जीएसटी/सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर का पीडीएफ।		
15	निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में जमा की गई जीएसटी/सीजीएसटी की पावती (पीडीएफ फार्मेट)		
16	परिसर का पंजीकृत मालिकाना हक/किराए की स्थिति में पंजीकृत किरायानामा के दस्तावेज।		
17	सिक््युरिटी गार्ड एवं पर्याप्त पार्किंग सुविधायुक्त है का प्रमाण		

18	आवास की क्षमता का प्रमाण-पत्र	
19	एयर कंडिश्न्ड-प्रशिक्षण हॉल की संख्या, प्रत्येक की बैठक क्षमता, पोडियम, माइक, स्पीकर, एलसीडी प्रोजेक्टर एवं पीए सिस्टम की उपलब्धता का प्रमाण-पत्र	

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम:

पदमुद्रा:

घोषणा-पत्र

मैं.....आत्मज.....निवासी.....
एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा तकनीकी बिड
 में सरल क्रमांक-1 से 19 तक प्रस्तुत की गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान और विवेक के
 अनुसार पूर्णतः सत्य है। मेरे द्वारा निविदा में दिए गए समस्त नियम एवं शर्तों का अध्ययन कर
 लिया गया है, जिसके अनुसार मुझे निविदा में भाग लेने की पात्रता है। मुझे निविदा में
 उल्लेखित समस्त शर्तें मान्य हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के असत्य पाए जाने पर हमारी
 फर्म/संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी तथा लोक शिक्षण संचालनालय हमारी फर्म के विरुद्ध
 कार्यवाही करने/निविदा निरस्त करने के लिए सक्षम होगी।

भोपाल

निविदाकार/प्राधिकृत के हस्ताक्षर.....

दिनांक

नाम

पदनाम

सील

साक्ष्य-1. हस्ताक्षर

नाम

पता

मोबाइल न.

साक्ष्य-2. हस्ताक्षर

नाम

पता

मोबाइल न.

प्रपत्र-ब

वित्तीय प्रस्ताव

(1) "आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं से संबंधित निविदाकार इसे भरेंगे"

क्र.	विवरण	एकजाई दर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (राशि रूपये अंको में) जीएसटी छोड़कर
1	आवास व्यवस्था (मौसम के अनुकूल सर्वसुविधायुक्त) प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	
2	सुबह का चाय/कॉफी एवं नाश्ता-कटलेट, ब्रेड पकोड़ा, सांभर बड़ा, इडली सांभर,उत्तपम, उपमा, प्याज पकोड़ा, पोहा-जलेबी में से कोई दो आइटम -प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	
3	दो समय चाय, बिस्किट (प्रातः 11:00 बजे एवं अपरान्ह 4:00 बजे) एवं लंच (बुफे में):- सलाद, पापड़, आचार, दो प्रकार की सब्जी (एक पनीरयुक्त एवं एक सीजनल), दाल फ्राई, जीरा-राइस, दहीबड़ा/रायता, तवा रोटी, एक प्रकार की मिठाई (गुलाबजामुन/गाजर का हल्वा/मूंग दाल का हल्वा/रसमलाई/आइसक्रीम/खीर/कस्टर्ड) एवं आवश्यकतानुसार शुद्ध पेयजल की व्यवस्था - प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	
4	डिनर (बुफे में):- सलाद, पापड़, आचार, दो प्रकार की वेज सब्जी (लंच में उपलब्ध कराई गई सब्जियों से भिन्न), दाल फ्राई, राइस, दहीबड़ा/रायता, तवा रोटी, एक प्रकार की मिठाई (लंच में उपलब्ध कराई गई मिठाई से भिन्न) एवं आवश्यकतानुसार शुद्ध पेयजल की व्यवस्था - प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	
	योग	

नोट-उक्त चारों आइटम की दरें देना अनिवार्य है, अन्यथा कोई भी दर स्वीकार नहीं की जाएगी।

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम:

पदमुद्रा:

(2) "गैर-आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं से संबंधित निविदाकार इसे भरेंगे"

क्र.	विवरण	एकजाई दर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (राशि रूपये अंको में) जीएसटी छोड़कर
1	तैयार चाय व काफी बुफे में (कुकीज़ के साथ)	
2	हाई-टी (बुफे में) – ढोकला/पेस्टिज़/समोसा/कचौड़ी/वेज सेन्डविच/वेच कटलेट (कोई एक), नमकीन वेफर्स/कुकीज़ (कोई एक), मिठाई एक पीस (झाई), तैयार चाय/काँफी/टी-बैक टी/लेमन टी/ग्रीन टी/ब्लेक टी, मिनरल वॉटर बॉटल	
3	लंच- (बुफे में) – सूप (टोमेटो/स्वीट कॉर्न/मन्चाऊ)-कोई एक, ग्रीन सलाद अचार, डाई पापड़, एवं रायता, सब्जी-ग्रेवीयुक्त पनीर की सब्जी, ग्रेवीयुक्त कोफता सब्जी, एक मौसमी ग्रीन सब्जी, दाल, जीरा राइस/ पुलाव-कोई एक, रोटी- तन्दूरी एवं तवा, दो प्रकार के स्वीट्स अथवा एक स्वीट्स एवं एक आइसक्रीम एवं मिनरल वॉटर बॉटल नोट-ग्रीष्मकाल में सूप के स्थान पर नमकीन मठा अथवा केरी पना	
	योग	

नोट-उक्त तीनों आइटम की दरें देना अनिवार्य है, अन्यथा कोई भी दर स्वीकार नहीं की जाएगी।

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम:

पदमुद्रा: